दिनांक–22.05.2025 को अपराह्न 03:00 बजे से विडियो कॉन्फ्रेसिंग (BSWAN) के माध्यम से निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– संलग्न सूची के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। वस्तुस्थिति / निदेश निम्नवत् हैः–

(1). <u>21 वीं पशुगणनाः–</u>

बैठक में जानकारी दी गयी कि बिहार राज्य में 21वीं पशुगणना अन्तर्गत गणना का कार्य सभी जिलों के द्वारा दिनांक–01.05.2025 तक पूर्ण कर लिया गया है। गणना के उपरान्त सभी जिलों से कतिपय त्रुटियों का निराकरण किये जाने हेतु कुछ ग्रामों / वार्डो को वापस किये जाने का अनुरोध किया गया है। जिलों से प्राप्त ग्रामों की सूची भारत सरकार को प्रेषित किया गया। तत्क्रम में भारत सरकार के पदाधिकारियों से सम्पन्न विमर्श के क्रम में यह सूचित किया गया है कि ग्रामों / वार्डों को वापस किये जाने का अनुरोध सिर्फ एक बार के लिए मान्य है। ग्रामों / वार्डों को दोबारा Roll Back नहीं किया जायेगा।

साथ ही कतिपय जिलों से अभी भी अतिरिक्त ग्रामों / वार्डों को वापस किये जाने हेतु अनुरोध प्राप्त हो रहा है। अतः इस संबंध में सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि दिनांक–25.05.2025 तक वापस किये जाने वाले ग्रामों / वार्डों की अंतिम सूची उपलब्ध करायी जाय। उक्त तिथि के बाद कोई भी ग्राम / वार्ड वापस किये जाने का अनुरोध विचारणीय नहीं होगा।

जिलों से वापस किये जाने हेतु ग्रामों / वार्डों का अभी तक प्राप्त सूची निम्नवत् है :–

Sl. No.	Name of districts	Request for roll back of villages (Number)	Sl. No.	Name of districts	Request for roll back of villages (Number)
1	Araria	195	15	Madhubani	300
2	Arwal	99	16	Munger	60
3	Aurangabad	193	17	Muzaffarpur	988
4	Banka	301	18	Nalanda	323
5	Begusarai	27	19	Nawada	49
6	Bhagalpur	146	20	Paschim Champaran	155
7	Bhojpur	145	21	Patna	247
8	Buxar	62	22	Purbi Champaran	67
9	Darbhanga	41	23	Purnia	204
10	Gaya	179	24	Rohtas	14
11	Gopalganj	95	25	Saharsha	259
12	Jamui	24	26	Samastipur	558
13	Jehanabad	16	27	Saran	5

Sl. No.	Name of districts	Request for roll back of villages (Number)	Sl. No.	Name of districts	Request for roll back of villages (Number)
14	Kaimur	81	28	Sheikhpura	6
29	Katihar	19	34	Sheohar	14
30	Khagaria	13	35	Sitamarhi	13
31	Kishanganj	38	36	Siwan	180
32	Lakhisarai	335	37	Supaul	225
33	Madhepura	77	38	Vaishali	200

21वीं पशुगणना अन्तर्गत भारत सरकार से त्रुटिपूर्ण ग्रामों/वार्डों में त्रुटि निराकरण के क्रम में सावधानीपूर्वक डाटा इन्ट्री करने का निदेश दिया गया। इसी क्रम में गाय, भैंस, बकरी, सूकर, पॉल्ट्री, ऊँट एवं श्वानों की संख्या संबंधी त्रुटि निराकरण के क्रम में तकनीकी रूप से समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

जिलों द्वारा विभिन्न प्रजाति के पशुओं के नस्ल के डाटा के संबंध में जानकारी दी गयी कि बिहार राज्य में सामान्य रूप से नहीं पाये जाने वाले नस्लों का भी डाटा अंकित किया गया है। साथ ही सभी प्रजाति के पशुओं में अवर्णित नस्ल के काफी पशुओं की संख्या का डाटा पाया गया है। अतएव इस संबंध में निदेश दिया गया कि यथा संभव सभी प्रजाति के पशुओं के नस्ल की सही जानकारी अंकित की जाय।

(2) <u>एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण</u>

बैठक में जानकारी दी गयी की भारत सरकार द्वारा एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण अन्तर्गत eLiss app एवं वेब पोर्टल को अपडेट करने की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। *eLiss* app एवं वेब पोर्टल अब सूचारू रूप से कार्यरत है।

Central Software Team के द्वारा अपडेटेड *eLiss* app एवं वेब पोर्टल के संबंध में कतिपय निर्देश दिये गये हैं जो निम्नवत् है :–

- सभी जिला नोडल पदाधिकारी को पुनः Sign up करना होगा, अर्थात् सभी जिला नोडल पदाधिकारी का नया यूजर आई०डी० बनेगा।
- सभी पर्यवेक्षकों को पुनः Sign up करना होगा, अर्थात् सभी पर्यवेक्षकों का नया यूजर आई०डी० बनेगा।
- सभी प्रगणकों को पुनः Sign up करना होगा, अर्थात् सभी प्रगणकों का नया यूजर आई०डी० बनेगा।

- सभी नये बनाये गये आई०डी० को उनसे एक स्तर ऊपर के पदाधिकारी द्वारा Activate किया जायेगा अर्थात् प्रगणक के नये आई०डी० को पर्यवेक्षक के द्वारा पर्यवेक्षक के नये आई०डी० को जिला नोडल पदाधिकारी के द्वारा एवं जिला नोडल पदाधिकारी के नये आई०डी० को राज्य नोडल पदाधिकारी के द्वारा Activate किया जायेगा।
- Updated Software में लगभग सभी कार्य प्रणाली पहले की तरह है। लेकिन किसी भी यूजर आई०डी० का पासवर्ड बदलने की प्रक्रिया Hierarchical किया गया है। अर्थात् प्रगणक का यूजर आई०डी० का पासवर्ड बदलने हेतु पर्यवेक्षक का अनुमति/अनुमोदन आवश्यक होगा। यही प्रक्रिया पर्यवेक्षकों एवं जिला नोडल पदाधिकारियों के लिए भी लागू है।
- सामान्यतः पासवर्ड भूल जाने के कारण बार–बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। अतएव जिला स्तर पर सभी प्रगणकों, पर्यवेक्षकों एवं जिला नोडल पदाधिकारी का यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड संधारित कर लिया जाय।
- ग्रीष्म ऋतु का निर्धारित सर्वेक्षण अवधि 1 मार्च से 30 जून तक है। इस ऋतु हेतु सभी ग्रामों को पुनः जिला नोडल पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रगणकों को आवंटित किया जायेगा।
- ग्रामों के आवंटन से पूर्व, भारत सरकार द्वारा जिलों के लिए चयनित ग्रामों/वार्डों का मिलान कर राज्य नोडल पदाधिकारी को दिनांक–25.05.2025 तक सूचित करना अनिवार्य है। इस तिथि तक सूचित नहीं करने की स्थिति में ग्रामों/वार्डों में बदलाव संभव नहीं होगा एवं सभी ग्राम/वार्ड स्वतः जिला नोडल पदाधिकारी को आवंटित हो जायेंगे।
- ग्राम आवंटित किये जाने के उपरान्त पूर्व की भांति सर्वेक्षण कार्य किया जाना है।
- Updated Software के संबंध में भारत सरकार से विस्तृत जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त शीघ्र सूचित किया जायेगा।

(3) **पशु दवा :–**

बैठक में जानकारी दी गयी कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में सम्भाव्य प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़–सूखाड़ की पूर्व तैयारी के क्रम में एवं निविदा प्रक्रिया में लगने वाले समय को देखते हुए कार्यहित में पशु चिकित्सालयों/औषधालयों में दैनिक उपयोग हेतु Hospital Specialities and General Items (यथा– Cotton, Bandage, Gauge, Antiseptic Solution, Phenyl, Surgical Spirit इत्यादि) एवं Polyvalent anti snake venom serum तथा Fluid Therapy हेतु विभाग द्वारा स्वीकृत वैसे Fluids जिनके दर/आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण नहीं हो पाया है, की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इनकी उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु उक्त की अधिप्राप्ति हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) अन्तर्गत उपबंधित राशि का उपयोग किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(4) पैथोलॉजिकल लैब द्वारा जाँच कार्य की समीक्षाः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय, गया, बक्सर, बेतिया, नालन्दा, खगड़िया, अरवल एवं बांका द्वारा माह अप्रैल–2025 में बहुत ही कम संख्या में पैथोलॉजिकल लैब द्वारा जाँच कराया गया है, जिसके लिए खेद व्यक्त किया गया। साथ ही कम प्रगति वाले जिलों को कार्य में प्रगति लाने एवं पैथोलॉजिकल लैब में जाँच में तीव्रता लाने का निदेश दिया गया।

(5) एम्बुलेट्री भान द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा :–

एम्बुलेट्री भान द्वारा आयोजित शिविरों की संख्या के आधार पर पटना, गया, वैशाली, बंका, सीवान, सहरसा, मधुबनी, शिवहर, बेतिया, भोजपुर, शेखपुरा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी एवं मुंगेर जिलो के द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कम शिविर का आयोजन किया गया है।

इस संबंध में लक्ष्य के अनुरूप शिविर आयोजन करने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया। जिलों को प्रतिमाह शिविर आयोजित करने एवं लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कार्य में प्रगति लाने हेतु सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को भी आवश्यक अनुश्रवण हेतु निदेशित किया गया। साथ ही सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को जिलों में एम्बुलेट्री भान को कार्यशील रखने तथा विभागीय योजना/कार्यक्रम यथा– के0सी0सी0 के प्रचार–प्रसार में, एम्बुलेंस एवं एम्बुलेट्री कैम्प का पूर्ण सहयोग लिये जाने का निदेश दिया गया है।

(6) AI संबंधी कार्य की समीक्षाः–

जिला पशुपालन पदाधिकारी, लखीसराय, मधेपुरा, भोजपुर, सुपौल, सहरसा, शेखपुरा एवं बेगूसराय का माह अप्रैल 2025 के उपलब्धि का प्रतिशत बहुत ही कम पाये जाने के कारण रोष व्यक्त किया गया है। संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को अपने–अपने जिलें अंतर्गत अक्रियाशील कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को क्रियाशील करने हेतु निदेशित किया गया।

ABIP-SS अंतर्गत किए गए कृत्रिम गर्भाधान का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 3 (तीन) तारीख तक बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने तथा **ABIP-SS** योजनांतर्गत किए गए कृत्रिम गर्भाधान कार्यों से संबंधित डाटा का भारत पशुधन पोर्टल पर ससमय Upload कराना सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

(7) **पशु बांझपन निवारण शिविरः—**

पशु बाँझपन निवारण शिविर 2022—23 में आयोजित किए गए शिविरों का समेकित प्रतिवेदन नालंदा, भागलपुर, शेखपुरा, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, बेतिया, शिवहर, छपरा एवं सिवान से अप्राप्त है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शिवहर से अप्राप्त है। उक्त प्रतिवेदनों को अतिशीध्र बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

पशु बाँझपन निवारण शिविर वित्तीय वर्ष 2023—24 में आयोजित किए गए शिविरों का अद्यतन समेकित प्रतिवेदन, भ्रमण/निरीक्षण प्रतिवेदन एंव प्रत्येक शिविर की फोटोग्राफी (कम से कम 5 Soft Copy में) की प्रति तथा उपयोगिता प्रमाण—पत्र (वाउचर की प्रति सहीत) संबंधी प्रतिवेदनों को अतिशीध्र बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

(8) **बाढ़ /सुखाड़ 2024 हेतु पूर्व तैयारी की समीक्षाः—**

बाढ़/ सुखाड़ हेतु पटना, रोहतास एवं लखीसराय जिलों के द्वारा क्रमशः दिनांक— 28.05.2025, 23.05.2025 एवं 06.06.2025 को निविदा खोला जायेगा। बांका, खगड़िया, सीतामढ़ी, बेतिया एवं बेगूसराय जिलों के द्वारा द्वितीय निविदा क्रमशः दिनांक— 26.05.2025, 27.05.2025, 26.05.2025, 22.05.2025 एवं 30.05.2025 को खोला जायेगा। साथ ही समस्तीपुर जिला द्वारा तृतीय निविदा दिनांक— 28.05.2025 को खोला जायेगा तथा शेखपुरा जिला द्वारा द्वितीय निविदा प्रकाशन हेतु भेजा जायेगा।

उपर्युक्त जिलों को अविलंब निविदा के माध्यम से चारा दर का निर्धारण करने का निदेश दिया गया।

नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सारण, सिवान एवं गोपालगंज जिलों के द्वारा चारा दर का निर्धारण किया जा चुका है।

पशु पेयजल (cattle trough) की भौतिक स्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि रोहतास, गया, औरंगाबाद एवं दरभंगा जिलों में कुल कैटल ट्रफ की तुलना में कार्यशील कैटल ट्रफ की संख्या अपेक्षाकृत कम पायी गयी। सभी संबंधित जिलों को कुल कैटल ट्रफ की तुलना में कार्यशील कैटल ट्रफ की संख्या बढ़ाये जाने का निदेश दिया गया।

(9) **बधियाकरण कार्य की समीक्षाः–**

जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया, कैमूर, शिवहर, जहानाबाद, सारण एवं शेखपुरा का माह अप्रैल 2025 के उपलब्धि का प्रतिशत बहुत ही कम पाये जाने के कारण रोष व्यक्त किया गया है। संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारियों को अपने–अपने जिलें अंतर्गत कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

(10) **समेकित मुर्गी विकास योजना –**

i) वित्तीय वर्ष 2024–25 में समेकित मुर्गी विकास योजना अन्तर्गत स्वीकृत ब्रायलर ब्रीडिंग फार्म की योजना में त्रुटि निराकरण एवं स्थल निरीक्षण संबंधी प्रतिवेदन दिनांक– 26.05.2025 तक उपलब्ध कराने हेतु पशुपालन निदेशालय के पत्र ज्ञापांक– 1918, दिनांक– 21.05.2025 द्वारा सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है।

ii) पूर्व के वित्तीय वर्ष में स्वीकृत लेयर एवं ब्रायलर फार्म की योजना में फार्म संस्थापन में प्रगति लाने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गाय।

iii) NLM योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रोपोजल्स प्राप्त नही हो रहा है। निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिलें में प्रति माह 2 प्रोपोजल्स उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया।

(11) **समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजना –**

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत विभिन्न क्षमता के बकरी फार्म (20+1, 40+2 एवं 100+5) का निर्माण यथाशीघ्र कराते हुए अनुदान भुगतान की प्रक्रिया को त्वरित गति से पूरा कराने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय निदेशक को निदेशित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत राज्य योजना एवं सात निश्चय–2 के तहत विभिन्न क्षमता के बकरी फार्म (20+1 एवं 40+2) का चयन क्षेत्रीय निदेशक के स्तर पर किये जाने के उपरांत शेष रिक्तियों को (सामान्य कोटि के) दूसरे जिले में आवंटित किया गया है (जहां चयन के बाद भी प्रतीक्षारत सूची में योग्य आवेदक है)। नियमानुसार नये सिरे से आवंटित लक्ष्य को यथाशीघ्र पूरा कराने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय निदेशक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
- पूर्व में दिये गये निदेश व विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 15.04.2025 को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के आलोक में प्राइमरी गोट कॉपरेटिव सोसायटी का गठन यथाशीघ्र करने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

(12) <u>समेकित सूकर विकास योजना –</u>

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत राज्य स्कीम अन्तर्गत ''सूकर विकास योजना'' के तहत 2 मादा सूकर + 1 नर सूकर की एक इकाई के क्रय पर प्रति लाभुक को 90 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की योजना हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन), बिहार, पटना द्वारा निविदा के माध्यम से चयनित फर्मों यथा Swastik Foundation, 70/35 Feet Road, Vishunpur Pakri, Patna एवं M/S City Enterprises, Gouripur, P.O. + P.S.- Singheshwar Madhepura, Bihar द्वारा पशुपालन निदेशालय के साथ एकरारनामा सम्पादन किया जा चुका है तथा वांछित प्रदर्शन प्रतिभूति राशि (PSD) भी पशुपालन निदेशालय में जमा कर दी गयी है।

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को संबंधित फर्म से सम्पर्क स्थापित कर चयतिन योग्य आवेदकों के बीच सूकर वितरण करने संबंधी अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया, ताकि योजना ससमय पूर्ण किया जा सके।

(13) <u>भारत पशुधन पोर्टल से संबंधित –</u>

LH& DCP से संबंधित सभी Vaccine का शेष बचे हुए डाटा भारत पर 15.06.2025 तक **Upload** कराना सुनिश्चित कराने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया एवं FMD टीकाकरण (Round 3 & 4) का शेष बचे हुए गैर टीकाकृत टैग सभी जिला को उपलब्ध करा दी गयी है।

(14) <u>सुरभि चयन श्रंख्ला से संबंधित –</u>

सुरभि चयन श्रंख्ला अन्तर्गत गया, सीतामढ़ी, सारण, औरंगाबाद, बेतिया, समस्तीपुर, शेखपुरा, किशनगंज, बांका, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, सिवान, वैशाली, अरवल, रोहतास, मोतिहारी, लखीसराय एवं गोपालगंज जिला में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि का प्रतिशत कम पाये जाने के कारण रोष व्यक्त किया गया। संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारियों को शत प्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण करने तथा दिनांक– 30.05.2025 तक भारत पशुधन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निदेशित किया गया।

सुरभि चयन श्रृंखला अंतर्गत उच्च नस्ल के दुधारू पशुओं को चिन्हित कर, भारत पशुधन पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

(15) स्थापना संबंधी मामलों की समीक्षा –

सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियो (वर्ग– 3 एवं 4) का मासिक/त्रैमासिक स्थापना प्रतिवेदन का Pdf एवं Soft copy ई–मेल ahd.sec07@gmail.com पर ससमय उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/–

अपर निदेशक (पशु उत्पाद)।

ज्ञापांक –12 नि०/प०ग० (बैठक) 02/2018 (खण्ड) 2044 नि० पटना–15, दिनांक 28/05/2025

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक (प0स्वा0)/ संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन, निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/ चारा विकास पदाधिकारी, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, (सूचना एवं प्रसार), बिहार, पटना/गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पशुपालन निदेशालय के सभी प्रभारी पदाधिकारी/वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय आई०टी० मैनेजर को ई०मेल करने एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/05/2025

अपर निदेशक (पशु उत्पाद)।